

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/आ०वि०(विविध)-०२-०४/२०११-

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

78

प्रेषक,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-15-567 दिनांक-03.05.2017 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक-170 दिनांक-02.05.17 से डॉ० भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय पाण्डेपट्टी के वर्ग-I से V तक के छात्रों के आवासन एवं पठन-पाठन के लिए चिन्हित भवन का कुल किराया ₹16000.00 (सोलह हजार रुपये) मात्र प्रति माह की दर से भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति।

पटना, दिनांक- 31.10.17

आदेश :- स्वीकृत।

2- प्रस्तावित स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद आय-व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.14.01-किराया महसूल एवं कर-मांग सं०-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770003 के अन्तर्गत विकलनीय विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

3- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4- मकान किराये की स्वीकृति के आधार पर उपलब्ध आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर होंगे तथा इसके नियंत्री उप विकास आयुक्त, बक्सर होंगे। स्वीकृत राशि का भुगतान मकान मालिक के आधार सम्बद्ध बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा।

5- यह स्वीकृत्यादेश मकान किराये में वृद्धि या कमी होने, विद्यालय के अन्य भवन में स्थानांतरित होने, सरकारी भवन की उपलब्धता की तिथि तक लागू होगा।


6- मकान किराया भुगतान के पूर्व सरकारी भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में सरकारी भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

7 - इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

8 - इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9 - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



24.10.17
(प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 3/आ0वि0(विविध)-02-04/2011- 78 पटना, दिनांक- 31.10.17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, बक्सर/उप विकास आयुक्त, बक्सर /उप निदेशक, कल्याण, पटना /जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर/अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/कार्यपालक अभियंता प्रमण्डल भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, /प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।
24.10.17